

विषय:-

हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2018-19 के वेतन में से आयकर का निर्धारण/कटौती करने बारे।

क्या

1. मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव-I-II/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देगे?

2. सूचित किया जाता है कि लेखा शाखा द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के वेतन में से आयकर का निर्धारण करके कटौती की जानी है। अतः अनुरोध है कि अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दें कि वे आयकर में छूट लेने के लिये पी0एल0आई/एल0आई0.सी0/पी0पी0एफ/एन0एस0सी0/भवन निर्माण ऋण/ब्याज पर राहत/School/College Tuition fee, Sukana Samridhhi इत्यादि का विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भर कर लेखा शाखा में दिनांक 31.08.2018 तक भेज दे। जो अधिकारी/कर्मचारी किराये के मकान में रहते हैं उनका प्रमाण के तौर पर एक महीने की रसीद देनी होगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एल.आई.सी./पी.पी.एफ./एन.एस.सी./भवन निर्माण ऋण/ब्याज पर राहत/School/College Tuition fee, Sukana Samridhhi इत्यादि की दिनांक 01.04.18 के बाद की गई अदायगी की फोटो प्रति भी इस वर्ष के आयकर निर्धारण करने के लिए लेखा शाखा को प्रस्तुत करें।

अधीक्षक लेखा

कृते: अवर सचिव (सामान्य), हरियाणा सरकार।

office Phone No. 0172-2740001,226,326 RAX-5511

Email-superintendent1@gmail.com

सेवा में

1. मुख्य मंत्री जी के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव -I-II/प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी के विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2. मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव के विशेष वरिष्ठ सचिव/ वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
3. मुख्य सचिव के निजी सचिव।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/आयुक्त एवं सचिवों तथा विशेष सचिवों के वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव।
5. सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/अवर सचिवों के निजी सहायक।
6. हरियाणा सिविल सचिवालय की सभी शाखाओं के अधीक्षक/पुस्तकाध्यक्ष/उप-अधीक्षक/शाखा इन्चार्ज।
7. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी जिला न्यायवादी/उप जिला न्यायवादी/सहायक न्यायवादी/लेखा अधिकारी/अनुसन्धान अधिकारी।

PROFORMA

Name.....son/daughter of.....

Designation.....Head of Pay.....

PAN No..... GPF/ NPS No.....

Office/Branch Name.....

All saving 01.4.2018 to 31.03.2019 Yearly/Monthly/Quarterly.

1. Income from House Property.....
2. Interest on HBL.....
3. Income from other sources.....
4. Rebate of Physically Handicapped.....
5. Deduction under Section 80C

(a) GPF/NPS.....

(b) GIS.....

(c) LIC.....

(d) PLI.....

(e) NSC.....

(f) PPF.....

(g) Sukana Samriddhi.....

(h) Tuition Fees.....

(i) Mutual Fund.....

(j) Bond.....

(k) HBL Repayment for.....

Construction of new house (No rebate will be given for plot loan/extension /repair of house. Those who have not completed the house no Rebate will be given).

Total (a to k).....

Maximum limit upto Rs. 1,50,000/-

(Signature of official)